

नगर निगम करती आव्हान, मास्क पहनों श्रीमान

कोरोना काल के बीच विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नगर निगम ने एक ही दिन में 1001 रांगोली का निर्माण कर लाखों लोगों को बताया मास्क, सैनेटाईज और दो गज की दूरी का महत्व, सैकड़ों लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया

रत्नाम 07 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत नागरिकों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा कर शहर के सभी वार्डों को जीरों वेस्ट बना चुके नगर निगम प्रशासन ने बुधवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 1001 रांगोली का निर्माण कर लाखों लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके समझाए गए हैं। इस मौके पर सैकड़ों लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण कर उन्हे सही ढंग से मास्क पहनने का तरीका भी समझाया गया है। रांगोलियों में नगर निगम करती आव्हान, मास्क पहनों श्रीमान जैसे दर्जनों संदेश दिए गए थे।

कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक श्री गोपालचंद डाड और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश पर बुधवार सुबह रांगोली का निर्माण शुरू किया गया जो देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान विभिन्न वार्डों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को कोरोना संक्रमण के दौरान इससे बचने के संदेश रांगोलियों के माध्यम से दिए गए। यहां आने जाने वाले लोगों को मास्क का वितरण किया गया और उन्हे सही ढंग से माँस्क पहनने के तरीके समझाए गए।

इनका रहा सहयोग

कोरोना काल में आमजन को वायरस से बचाने के तरीके समझाने के लिए नगर निगम द्वारा रांगोली निर्माण के दौरान सफाई मित्र समूह के मार्गदर्शन में शहर की तमाम माता—बहनों और बच्चों रांगोली का निर्माण कर माँस्क का वितरण किया गया। इस महाअभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री वनिता लोढ़ा, परियोजना अधिकारी चेतना गेहलोत, अर्चना माहोर, एक दर्जन से ज्यादा पर्यवेक्षण, समूह संचालक श्रीमती सोफिया कुरेशी, श्रीकृष्ण समूह, मोहित सोनी सहित अनेक लोगों ने भरपूर सहयोग दिया।

सतत जारी रहेगा जागरूकता अभियान

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर रिकार्ड बनाने वाली इस गतिविधि को लेकर कहां कि जुर्माना, अस्थायी जेल, फटकार आदि तरीकों के माध्यम से लोगों को कोरोना गाईड लाईन का पालन करने की समझाई दी जा रही है। इसी बीच नगर निगम ने गांधीगिरी का यह तरीका अपनाया है। रांगोली लोगों में सकारात्मक भाव जगाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग इस भीषण कोराना काल में अपनी जिम्मेदारी समझ कर उसे निभाए और अपने साथ ही दूसरों की भी जान बचाए।

इन इलाकों में सजी रांगोली

अलकापुरी, जनता नगर, नयागांव राजगढ़, अर्जुन नगर, दिलीप नगर, हनुमान ताल, रत्नपुरी, शक्तिनगर, शुभम परिसर, सहकारी कॉलोनी, दीपक नगर, सूरजमल जैन नगर, अर्जुन नगर, माहेश्वरी प्रोटीन, राजीव नगर, दिलीपनगर, सिविक सेंटर, काशी विश्वनाथ मंदिर, अमृतसागर क्षेत्र, गढ़ कैलाश, भगतपूरी, जिला अस्पताल, महिला एवं शिशु रोग गहन चिकित्सा ईकाई, बाल चिकित्सालय, काटजूनगर, जवाहर नगर, दिनदयाल नगर, नगर निगम कार्यालय परिसर, साईंस एण्ड आर्ट्स कालेज, कालिका माता मंदिर परिसर, झाली तालाब, अमृतसागर तालाब क्षेत्र, वार्ड नम्बर-22 (भगतपुरी), रत्नेश्वर रोड, वार्ड नम्बर-25 (मालीकुआ) गवली मोहल्ला, भाटो का वास, लोहार पट्टी, अजा बस्ती व आसपास का इलाका, सुभाष नगर, त्रिवेणी रोड, शंकरगढ़, नया कल्याण नगर, पुराना कल्याण नगर, मस्जिदवाली गली, त्रिपोलिया गेट रोड, गढ़कैलाश, मोतीनगर, संत नगर, खेतलपुर, ईश्वर नगर गली नम्बर-1, 2, 3 व 4, राम रहीम नगर गली नम्बर-1 व 2, धीरजशाह नगर गली नम्बर 1, 2 व 3, गोपाल नगर गली नम्बर 1 व 2, बुधदेश्वर रोड, टाटा नगर गली नम्बर-1, 2 व 3, डी डी नगर सेक्टर एक से लेकर पांच तक, श्री नगर,

ओसवाल नगर, बालाजी नगर, चुनपत बिल्डिंग, गुलाबशाह वाली रोड, नवीन कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, डीआरपी लाईन, मोचीयान पंचायत, शैरानीपुरा-1, केर बावड़ी, दानीपुरा, धबाईजी का वास, बाह्यण गली, सोमनाथ मंदिर, हाथीखाना रोड, गांधी नगर पूर्व, गांधी नगर उत्तर, शिव नगर, लक्ष्मणपुरा, अजा बस्ती, सैलाना यार्ड, रिटायर्ड कालोनी, जवाहर नगर, जनता कालोनी, विनोबा नगर, इंदिरा नगर, महेश नगर, अंबिका नगर, सिलावट, गवली मोहल्ला, भाटो का वास, कुम्हार मोहल्ला, राजेन्द्र नगर, बरगुण्डों का वास, आबकारी चौराहा, श्रीकृष्ण ग्रुप मालीकुआ, दानीपुरा, हाकिम वाड़ा, अंजता टाकीज, नाहरपुरा, पुरोहितजी का वास, देवीसिंह कालोनी, शनिगली, देवीसिंह गली, हरिजन बस्ती, न्यू काजीपुरा, खातीपुरा, सहित नगर के सभी प्रमुख चौराहे सहित 150 से ज्यादा क्षेत्रों में रांगोली का निर्माण कराया गया है।

इनका रहा सहयोग

कोरोना काल में आमजन को वायरस से बचाने के तरीके समझाने के लिए नगर निगम द्वारा रांगोली निर्माण के दौरान सफाई मित्र समूह के मार्गदर्शन में शहर की तमाम माता-बहनों और बच्चों रांगोली का निर्माण कर माँस्क का वितरण किया गया। इस महाअभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री वनिता लोढ़ा, परियोजना अधिकारी चेतना गेहलोत, अर्चना माहोर, एक दर्जन से ज्यादा पर्यवेक्षण, समूह संचालक श्रीमती सोफिया कुरेशी, श्रीकृष्ण समूह, मोहित सोनी सहित अनेक लोगों ने भरपूर सहयोग दिया।

सतत जारी रहेगा जागरूकता अभियान

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इतिहास रचने वाले इस गतिविधि को लेकर कहां कि जुर्माना, अस्थायी जेल, फटकार आदि तरीकों के माध्यम से लोगों को कोरोना गाईड लाईन का पालन करने की समझाई दी जा रही है। इसी बीच नगर निगम ने गांधीगिरी का यह तरीका अपनाया है। रांगोली लोगों में सकारात्मक भाव जगाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग इस भीषण कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी समझ कर उसे निभाए और अपने साथ ही दूसरों की भी जान बचाए।

निगम अधिकारी एवं कर्मचारी कोरोना का दुसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

रत्नाम 07 अप्रैल। नगर निगम के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दुसरा टीका लगवा लिया है किन्तु कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वंचित हैं वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुरक्षित रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है। टीकाकरण से शोष रहे अधिकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि टीकाकरण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं उनके विरुद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड पर्यवेक्षकों की बैठक ली नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता में रत्नाम नगर बनेगा नम्बर 1 नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्ड में घर-घर से किया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

रत्नाम 07 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रत्नाम नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी किया जा

रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके हैं नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने 06 अप्रैल मंगलवार को वार्ड पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर कहा कि नगर निगम के साथ—साथ नागरिकों का भी यह प्रयास है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नम्बर 1 बने इस हेतु किसी भी स्थिति में सड़क, नाले—नालियां, रिक्त भूखण्ड आदि पर कचरा ना रहे। इसके अलावा नगर के प्रत्येक घरों से गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक लिया जाये साथ ही अपने—अपने वार्डों में सफाई के कार्य को ओर अधिक सुदृढ़ बनायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डों की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरों, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वयं गीले एवं सूख्खे कचरे पृथकीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रेग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रेग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रेग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक—पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरों एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक—पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक—पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रेग पिकर्स महिलाएं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग—अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रेग पिकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इन्हें वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मिश्रा, श्री एम.के. जैन, निगम सचिव श्री जसवन्त जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, अनवर कुरेशी, बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, श्रीमती अनिता ठाकुर, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, सहायक वर्ग 3 श्री राजेन्द्र गेहलोत, श्री जितेन्द्र सिसोदिया, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया, श्री अनिल पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मोनिका चौहान, जय उपाध्याय, तरुण राठोड़ आदि उपस्थित रहे।

भीड़ एकत्रित करने पर होटल बालाजी पर 5000 का जुर्माना

रत्नाम 07 अप्रैल। न्यू रोड स्थित होटल बालाजी के संचालक द्वारा होटल में अत्याधिक संख्या में भीड़ एकत्रित करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबंधित का 5000 का जुर्माना किया गया इसके अलावा पॉलीथीन का उपयोग करने पर मुजफ्फर बोहरा बाखल पर 500 रुपये का स्पॉट फाईन कर 8 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिंदे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रत्नाम 07 अप्रैल। गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रत्नाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकॉल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉं आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉं, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थों के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिस्पोजेबल आयटमों के विक्रय, भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

स्वच्छं विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

757 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रत्नाम 07 अप्रैल। रत्नाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छं विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्रि में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से

अभियान चलाया गया तथा 07 अप्रैल तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 757 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 07 अप्रैल को कालिका माता परिसर, शहर सराय, ईदगाह रोड, गोपाल गौशाला, दो बत्ती व टीआईटी रोड से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और घौसों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छांद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छांद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रत्नाम 07 अप्रैल । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिंदे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते हैं व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाइल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रत्नाम 07 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन

प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक

रत्नाम 07 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रत्नाम 07 अप्रैल । रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रत्नाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर करें। इसके बाद अपना जीपीएस ॲन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रत्नाम 07 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रत्नाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्ममीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 07.04.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.